17/9/25 पत्रावली पेश हुई। डिक्रीदार वकील उपस्थित
है। तहसीलदार राजगढ़ द्वारा इजराय पालना
रिपोर्ट भिजवाई गई जो प्राप्त है जिसका
अवलोकन किया। डिक्रीदार वकील को सुनवाई
की गई जिसमें उक्त प्रकरण में सीमांकन कि
राजस्व अपील अधिकारी महोदय प्रथम
के समक्ष पर अपील चल रही है। अपील
विचाराधीन होने से इजराय की पालना
नहीं की जा सकती है। सीमांकन उ. प्रकरण
अधिकारी महोदय भीलवाड़ा के समक्ष पर प्रकरण
विचाराधीन होने से उनके निर्णय के
पश्चात् ही इजराय की पालना की जा
सकती है।

अतः प्रकरण में अपील के चलते
प्रकरण विचाराधीन होने से इजराय पालना
की कार्यवाही ड्रोप बन्द की जाती है।
प्रकरण इसी स्तर पर नतीजा खारिज होकर
दाखिल दफ्तर हो।